कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।

website-www.sugarcane.uk.gov.in Email.commissionercanesugar@gmail.com

निविदा सूचना

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की	निविदा प्रपत्र	कार्य पूर्ण	निविदा क्रय किये
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	निविदा लागत	का मूल्य	करने की	जाने हेतु अर्हता
		(ला0रू0)	(रू0में)	अंवधि	
1	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के कार्यालय	15.90	1,500.00+	03 माह	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
	परिसर में साज–सज्जा एवं सेनीटरी कार्य।		जी0एस0टी0		विभागान्तर्गत भवन
2	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय	20.79	2,000.00+	03 माह	निर्माण कार्य में 'सी'
	परिसर में स्थित चाहरदिवारी का उच्चीकरण	2	जी0एस0टी0		श्रेणी अथवा इससे
	का कार्य एवं अन्य अनुरक्षण कार्य।	i.			उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार
3	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय	24.98	2,000.00+	03 माह	गन्ना विकास एवं
	परिसर में स्थित आवासीय/अनावासीय		जी0एस0टी0		चीनी उद्योग विभागान्तर्गत विद्युत
41	भवनों में आन्तरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण	-			कार्य में 'ए' श्रेणी
	का विस्तृत नवीनीकरण, सुदृढ़ अनुरक्षण				पंजीकृत ठेकेदार
	कार्य ।				
4	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय	17.97	1,500.00+	03 माह	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
	परिसर में स्थित चाहरदिवारी, नाली का		जी0एस0टी0		विभागान्तर्गत भवन
	मरम्मत एवं टाईप–1, 2 एवं 3 आवास के			eg af meg af m	निर्माण कार्य में 'सी'
	बाहरी दिवारों पेंट व अनुरक्षण कार्य।				श्रेणी अथवा इससे
5	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय के	18.18	1,500.00+	03 माह	उच्चतर श्रेणी में
	आवासीय परिसर में स्थित टाईप-1, 2, 3,		जी0एस0टी0		पंजीकृत ठेकेदार
	4 एवं 4 (स्पेशल) आवास का अनुरक्षण एवं				
	सेनीटरी का अनुरक्षण कार्य।				

> (चन्द्र सिंह इमलाल) अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड, क्राशीपुर

कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर निविदा आमंत्रण प्रपत्र

(निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्ते एवं प्रतिबन्ध)

विज्ञप्ति सं0	दिनांक मूल्य रू०— 1,500.00+जा०एस०८।०
उद्घोषणा/कार्य का नाम:	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कायालय पारसर न रिवर आहर काली नाली का मरम्मत एवं टाईप—1, 2 एवं 3 आवास के बाहरी दिवारों पेंट
1. मानक प्रपत्र :	व अनुरक्षण कार्य। विभागीय website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्ते निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तो के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।
2. अनुमानित लागत रू0ः	18.51 लाख
(कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित) 2 अ. निविदा का प्रकारः	एकल प्रणाली
3. निविदा लागत (G.S.T सहित) रू० :	17.97 लाख
4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रू0 : 4 A जमानतः	क्त0 36,000.00 अनुबन्ध ले का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन वाणिज्यिक बैकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीद या बैक गांरटी आदि के रूप मे अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retaintion Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
 कार्य पूरा करने का समय : क्षितपूर्ति प्रितिभूति 	3 माह उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)
7. निविदा की वैधता :	120 दिन
8. ठेकेदार का नाम	
(जिसे निविदा फार्म बेचा गया तथा पूरा प	ता)
9. ठेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :	
(स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छ	ाया प्रति सहित)
	की संख्या :

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सील समान्य नियम व शर्तेः

निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपित्त मान्य नहीं होगी।

3. निविदा मोहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जाऐगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।

4. कार्य के किसी भी आईटम की मात्राये घट / बढ़ सकती हैं जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शैंड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य

5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को सिम्मिलित कर) निक्षेपित / जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की मॉग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय स्वीकार होगा।

समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पैशिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण

रूप से उत्तरादायी होंगें। इस अवधि में Retaintion Money विभाग में जमा रहेगी।

7. कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अबींट्रेटर के रूप में गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर

राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।

9. कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख-रेख व कार्य की स्टैविलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

10. एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड

के पास सूरक्षित रहेगा।

11. तकनीकी निविदा के साथ 100/रू० मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तूत करना होगा जिसमे निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि:-

(1) पूर्व मे उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश मे किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था

द्वारा काली सूची मे नही रखा गया है।

(2) निविदा दाता फर्म / ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नही है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नही है।

(3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये है किसी तथ्य के असत्य भ्रामक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर मे निहित होगा।

(4) शपथ पत्र मे उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।

12. पावर आफ अटार्नी मान्य नही होगी।

13. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

14. स्वप्रमाणित जी०एस०टी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. ठेकेदार/फर्म को अध्यावधिक जी०एस०टी० का नापावना प्रमाण पत्र मूल रूप से लगाना अनिवार्य होगा।

16. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदार के बिलों से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जॉच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।

17. कार्य की प्रगति के दौरान रंनिंग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में

ठेकेदार कार्य बंद नही करेगा।

18. निविदा विभागान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेची जायेगी।

19. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि गन्ना एवं चीन आयुक्त उत्तराखण्ड के मुख्यालय व आवासीय कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था में आपके द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान कोई कमी न होने पाये।

	20.	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार न्यूनतम निविदा लागत के कार्य को ठेकेदार से जी०पी०डब्लू० 9 की शर्तो पर तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होगे। (अनुबन्ध
	21. 22.	प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट करनी होगी। बिलो से नियमानुसार जी0एस0टी0, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटीरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
	23.	डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।
		ि निविदादाता को विगत 03 वर्षों में निविदा लागत के मूल्य अथवा इससे अधिक लागत के कार्यों के संतोषजनक रूप से पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
		निविदा धरोहर निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धन (टी०डी०आर०/एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिभूति/धरोहर की धनराशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० वाणिज्यिक बैक से निर्गत अदाता के नाम एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद या बैंक गांरटी के रूप में अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर के पदनाम से निगत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Defect liability अवधि तक के लिए वैध हो) प्रस्तत करनी होगी तभी कार्यादेश दिया जायेगा।
	26.	निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
		. शासनादेश संख्या 223817 / 2024 / 08(200) / XXVII(8) / 2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निविदा क्रय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
	28.	. निविदा प्रकाशन के उपरान्त विभाग में पंजीकृत नवीन ठेकेदार उक्त निविदा हेत मान्य नहीं होंगे।
जानकारी प्रा चितिहा एउन	हमने उ प्त कर न कर र	हम निवासीका उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक को पढ़ी तथा कार्यस्थल, की पूर्ण ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियों, विभागीय नियम व शर्तो की दृष्टिगत रखते हुए मै/हम अपनी रहा है,/कर रहे है तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी की दरों से
	जमा	की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है—
	रूपरे	
		इ. सं0 इ. परं / एफ0डी०आर० स0
	947	ह0 वेकेदार
		(कार्यालय कार्य के लिये)
आज	दि0	मे निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदाये स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।
		निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक	निविदा	कमेटी, के प्रस्ताव पर अपर आयुक्त / गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के प्रस्ताव संo हारा कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

BILL OF QUANTITY

TENJER COST -: 17.97 LAKH

ne of Work:- गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के कार्यालय के आवासीय परिसर में स्थित चाहरदिवारी , नाली का मरम्मत एवं टाइप — 1 , 2 एवं 3 के बाहरी दिवारों पर पेंट कार्य व अनुरक्षण कार्य।

	D.s.r code	Description of item	Qty.	Unit	Rate in rupees	Amount in rupees
_		Civil work		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	14.1.1	Repairs to plaster of thickness 12 mm to 20 mm in patches of area 2.5 sq.meters and under, including cutting the patch in proper shape, raking out joints and preparing and plastering the surface of the walls complete, including disposal of rubbish to the dumping ground, all complete as per direction of Engineer-in-Charge. With cement mortar 1:4 (1 cement : 4 fine sand)	941.15	M ²	547.40	515185.51
	13.80	Providing and applying white cement based putty of average thickness 1 mm, of approved brand and manufacturer, over the plastered wall surface to prepare the surface even and smooth complete.	941.15	M ²	156.05	146866.46
	13.91	Removing dry or oil bound distemper, water proofing cement paint and the like by scrapping, sand papering and preparing the surface smooth including necessary repairs to scratches etc. complete.	1613.33	M ²	25.15	40575.25
	13.81.1	Distempering with 1st quality acrylic distemper (ready mixed) having VOC (Volatile Organic Compound) content less than 50 gram/ litre, of approved brand and manufacturer including applying additional coats wherever required to achieve even shade and colour Old work (one or more coats)	1078.21	M²	62.70	67603.77
	13.110.1	Finishing walls with textured exterior paint of required shade Old work (Two or more coats on existing cement paint surface applied @ 3.28 ltr/10 sqm.	2139.9	M²	169.20	362071.08
	13.99.1	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade. One or more coats on old work	291.42	M²	102.80	29957.98
	2.8.1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m.All kinds of soil. Cum	10.33	cum	260.30	2688.90
	4:1°5	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level: 1:3:6 (1 Cement: 3 coarse sand (zone-III): 6 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	4.13	cum	7294.70	30127.1
	6.1.1	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	0.58	cum	7370.65	4274.
	13.1	12 mm cement plaster				
	13.1.1	1:4 (1 cement: 4 fine sand)	2.16	sqm	347.05,	749
	13.1.2	1:6 (1 cement: 6 fine sand)	367.56	sqm	333.35	122526
	5.12	Providing, hoisting and fixing above plinth level up to floor five level precast reinforced cement concrete work in string courses, bands, copings, bed plates, anchor blocks, plain window sills and the like, including the cost of required centering, shuttering but, excluding cost of reinforcement, with 1:1.5:3 (1 cement: 1.5 coarse sand(zone-ill): 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size).	2.24	cum	10585.90	and the second s
	5.22A.6	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete above plinth level. Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.	204.1	kg	107.85	22012
	9.16.1.1	Providing and fixing 25 mm thick shutters for cup board etc. :Panelled or panelled & glazed shutters : Second class teak wood including ISI marked anodised aluminium butt hinges with necessary screws	2.72	M ²	4402.85	11975

Topish-



.7	10.29.2	Providing & fixing fly proof wire gauze to windows, clerestory windows	2.4	M ²	1133.55	2720.52
		Stainless steel (grade 304) wire gauze of 0.5 mm dia wire and 1.4 mm	2.4	141		2/20.52
	10.30.2	Providing & fixing glass panes with putty and glazing clips in steel doors, windows, clerestory windows, all complete with: 5.5 mm thick	0.84	sqm	1390.15	1167.73
	10.31	Providing and fixing angle Iron frames for doors, windows and ventilators of mild steel Angle sections of size 35x35x5 mm, joints mitred and welded by angle iron 35x35x5 mm or 35x 5 mm flat pieces to the existing T-iron frame or to the wall with dash fastener, including fixing of necessary butt hinges and screws and applying a priming coat of approved steel primer, all complete as per the direction of Engineer-	8.94	kg	130.50	1166.67
	6.4.2	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level In all shapes and sizes in: Cement mortar 1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	3.92	cum	9105.95	35695.32
	13.109.1	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade: Old work (one or more coats applied @ 2.20 kg/10 sqm) over priming coat of primer applied @ 0.80 litrs/10 sqm complete including cost of Priming coat.	1652.34	sqm	112.90	186549.19
	2.32	Clearing grass and removal of the rubbish up to a distance of 50 m outside the periphery of the area cleared. sqm	350	m	8.95	3132.50
	12.8	Providing reinforced by organic fibres and/or inorganic synthetic fibres cement 6 mm thick corrugated sheets (as per IS: 14871) roofing up to any pitch and fixing with polymer coated J, or L hooks, bolts and nuts 8 mm dia. G.I. plain and bitumen washers or with self drilling fastener and EPDM washers etc. complete (excluding the cost of purlins, rafters and trusses), including cutting sheets to size and shape wherever required.	40.25	sqm	536.40	21590.10
	18.12.6	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings including trenching and refilling etc. External work 50 mm dia nominal bore	6.10	metre	762.15	4649.10
	15.19	Dismantling steel work manually/ by mechanical means in built up sections without dismembering and stacking within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge.	700.00	kg	3.85	2695.00 49,820
	9.48.1	Providing and fixing M.S. grills of required pattern in frames of windows etc. with M.S. flats, square or round bars etc. including priming coat with approved steel primer all complete. Fixed to steel windows by welding	200.00	kg	21 9.10	33060.00
	15.7.4	Demolishing brick work manually/ by mechanical means including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead as per direction of Engineer-in-charge. In cement mortar	0.5	cum	2060.20	1030.10
	12.41	Providing and fixing on wall face unplasticised Rigid PVC rain water pipes conforming to IS: 13592 Type A, including jointing with seal ring conforming to IS: 5382, leaving 10 mm gap for thermal expansion, (i) Single socketed pipes.	ii .			
	12.41.1	75 mm diameter	64	m	248.80	15923.2
	12.41.2	110 mm diameter	276	m	377.40	104162.4
1	12.42.3.2	Providing and fixing on wall face unplasticised - PVC moulded fittings/accessories for unplasticised Rigid PVC rain water pipes conforming to IS: 13592 Type A, including jointing with seal ring conforming to IS: 5382, leaving 10 mm gap for thermal expansion. Single tee with door 110x110x110 mm	16	each	234.15	3746.4
		Total – [A] civil work	1 1 3 4 4	1.5	1808375=3	1797615.

Rojesh

S Joshif Ac E.E.

अनुबन्ध स्टाम्प डॅयूटी नियमानुसार जमा करनी होगी।

आगणित निविदा लागत अंको व शब्दो मे भरी जायेगी। निविदा प्रपत्र में कोई भी मॉगी गयी सूचना खाली नही रखी जाएगी। 2.

बढ़ी हुई मात्राओं का स्वीकृत निविदा दर पर भुगतान किया जायेगा। 3.

यदि बिल आफ क्वाटिटी से इतर आइटमों पर कार्य ठेकेदारों से कराया जाता है तो वर्तमान शैड्यूल आफ रेट्स पर इनका भुगतान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त किया जायेगा।

निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार प्रस्तावित कार्य का ले आउट, ड्राईंग व कार्य स्थल का निरीक्षण भली प्रकार कर लेवे।

अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही गुणवत्ता की संतोषजनक रिपोर्ट के पश्चात की जायेगी।

यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्रपत्र/खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस को कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। यदि किसी निविदा दाता को निविदा बेच दी जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि वह निविदा देने हेतु पात्र है।

कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदा दाता को स्वयं करनी होगी तथा स्थल पर सामग्री की सुरक्षा की

जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

निविदा प्रपत्र केवल विज्ञापन मे उल्लिखित वांछित श्रेणी मे पंजीकृत ठेकेदारो को ही मूल पंजीकरण प्रमाण दिखाने पर विकय किये

10. निविदा मे भरे गये तथ्यों के सम्बन्ध मे प्रमाणित पत्रों की छाया प्रतियाँ लगानी अनिवार्य है।

11. कार्य स्थल पर घटित किसी भी प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा, समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। कार्य के लिए Defect liability period दो वर्ष होगा। उक्त बिल ऑफ क्वान्टिटी की स्पेसिफिकेशन अस्पष्ट होने की दशा मे C.P.W.D Circle Delhi की स्पेसिफिकेशन अन्तिम रूप से मान्य होगी।

12. बिल आफ क्वान्टिटी में उल्लेखित आइटम के पूर्ण होने पर ही उस आईटम को अन्तिम बिल में सम्मिलित किया जायेगा।

- 13. कार्य से संबंधित मजदूरों की कार्य स्थल में कार्ये के समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
- 14. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार का विवाद होने पर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 15. विभाग की बिजली एवं पानी के उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी।

16. अधूरे आइटम के आधार पर उस मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. कार्यादेश धन की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा।

18. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

19. प्रस्तावित कार्य की स्पेशिफिकेशन अनुसार स्थल पर कार्य, किनष्ठ अभियन्ता की देख-रेख में किया जायेगा।

20. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर अथवा गुणवत्ता-युक्त कार्य न पाये जाने की दशा में जी0पी0डब्लू0-9 की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

21. सभी प्रकार के टैक्स की कटौती बिल भुगतान के समय लागू नियमों के अनुसार होगी।

22. कार्य का भुगतान मापन के आधार पर किया जायेगा।

23. यदि किसीँ स्पेसिफिकेशन में अस्पष्टता प्रतीत होती है तो C.P.W.D का C.P.W.D Standard bidding document.मान्य होगी।

24. अनुरक्षण का कार्य कार्यालय एवं आवासीय परिसर में निवासित कार्मिकों के आवासों मे होना है इसलिये निविदादाता यह सुनिश्चित कर ले कि अनुरक्षण कार्य के दौरान कार्यालय कार्य में कोई व्यवधान तथा आवासीय कालोनी में निवासित कार्मिकों को कोई असुविधा उत्पन्न हो।

25. शासनादेश संख्या 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जीoएसoटीoसम्बन्धी अदेय प्रमाण

पत्र (No Due Certificate) निविदा कय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

26. निविदा प्रकाशन के उपरान्त विभाग में पंजीकृत नवीन ठेकेदार उक्त निविदा हेतु मान्य नहीं होंगे। प्रस्तावित कार्य को निर्धारित समय अन्तर्गत पूर्ण कराते हुए विभिन्न वस्तुओं / कार्यो / घटकों का रंगीन फोटो (जो कि

अध्यावधिक किये गये कार्य की प्रगति दर्शाता हो) कार्यालय में जमा करने के साथ किये गये कार्य का बिल प्रस्तुत करना होगा।

कनिष्ठ अभियन्ता मुख्यालय काशीपुर

सहायक अभियन्ता ऊधमसिंहनगर

अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड

बिल ऑफ क्वान्टिटी में दी गई दरो शर्ते एवं टेण्डर शर्तो को मैने भली भाँति पढ़ लिया है। इन्ही के आधार पर निविदा प्रपत्र मे अपनी निविदा दर भरकर इसे निविदा फार्म के साथ संलग्न कर बन्द लिफाफे के अन्दर रखते हुये निविदा पेटी में डाल रहा हॅ